UPBP010023972022

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, (F.T.C-IInd) बलरामपुर।</u>

गैंगेस्टर वाद सं0–09/2022
उ0प्र0 राज्य बनाम रिजवान जहीर आदि

<u>दिनांकः 18.11.2022 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 11ख व आपत्ति 12ख पेश हुई।</u>

प्रार्थनापत्र 11ख अभियुक्तगण जेबा रिजवान आदि द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध बिना किसी साक्ष्य के विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियकलाप अधिनियम 1986 की धारा 2 के उपखण्ड ख में गिरोह शब्द को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार ऐसे व्यक्तियों का समूह जो लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियाबी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीडन द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते है तथा अधिनियम मे कई प्रकार के गतिविधियों का वर्णन किया गया लेकिन सम्पूर्ण विवेचना के दौरान इस अभियोग मे यथापरिभाषित गिरोह शब्द की परिभाषा में आने वाले किसी संगठक के सापेक्ष कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण विवेचना के दौरान इस आशय का भी कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध है कि प्रार्थीगण का कोई गिरोह रहा हो जो अपने दुनियाबी, आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध कारित किया हो। प्रार्थिनी सं0 1 और 2 पिता पुत्री है तथा प्रार्थी संव 3 प्रार्थिनी सं0 1 के पति है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग किये केवल सरसरी तौर पर पुलिस द्वारा प्रेषित गैंग चार्ट को मंजूरी दी गयी है। प्रार्थीगण के विरुद्ध अधिनियम की धारा 2/3 के अर्न्तगत किसी प्रकार के अपराध का गठन नहीं होता है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कथित किये गये अपराधो और उनसे किस प्रकार का अर्थिक या भौतिक लाभ प्रार्थीगण को हुआ के सापेक्ष कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग और प्रेषित आरोप पत्र अधिनियम के उद्देश्यों के प्रतिकूल है। अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्त अभियोग से उन्मोचित करने की कृपा की जावे ।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा आपत्ति 12ख इस आशय की दाखिल की गयी है कि अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने के उपरान्त उ०प्र० गिरोह बन्द अधिनियम के तहत अधिनियम की धारा 14 (1) की कार्यवाही की गयी है अभियुक्तगण द्वारा लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करके अपने व अपने सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनयादी लाभ के लिये एक संगठित गिरोह बनायें हुये हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में

प्रेषित किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा अब तक गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व दुनयावी लाभ प्राप्त किया है उवप्रव गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत विवेचक द्वारा कार्यवाही किया गया है। अभियुक्ता सं0–01 के पिता का पूर्व से ही अपराधिक इतिहास रहा है और उनके सहयोग से अभियुक्तगण सं0–01 व 03 संगठन में सहयोग करते है। अभियुक्तगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० निरस्त होने योग्य है। अतः अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा करें और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित कर मुकदमा गुणदोष के आधार पर निस्तारित करने की कृपा करें।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 (ख) गिरोह को निम्न प्रकार परिभाषित करती हैः–

(ख) "गिरोह" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई अनुचित दुनियावी (टेम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेलेया सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, याप्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज–विरोधी क्रियाकलाप करते हैं,

अर्थात्–

(i) भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं0 45 सन् 1860) के अध्याय 16, या अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध; या

(ii) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम सं० 4 सन् 1910) या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटैन्सेज ऐक्ट, 1985 (अधिनियम सं० 61 सन् 1985) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का अवसान या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्यात या विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना; या

(iii) विधिसम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना; या

(iv) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना; या

(v) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं0 104 सन् 1956) के अधीन दण्डनीय अपराधः या

(vi) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम 1867, (अधिनियम सं० 3 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध या

(vii) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार के लिए, या माल के संभरण या किये जाने वाले कार्य के लिये, विधिपूर्वक संचालित किसी नीलामी में बोली लगाने या विधिपूर्वक मांगे गये टेण्डर देने से किसी व्यक्ति को रोकना या

(viii) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारवार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारु रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना या

(ix) भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं0 45 सन् 1860) की धारा 171–ङ के अधीन दण्डनीय अपराध, या मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या उसमें बाधा डालना; या

(x) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सामंजस्य में विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना; या

(xi) जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना; या

(xii) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुँचाना; या

(xiii) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध करायी जायेगी, ऐसे विदेश में जाने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना; या

(xiv) फिरौती उद्यापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना; या

(xv) किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन दानों को उसके पूर्वनिर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना;

(xvi) धन उधार देने का विनियमन अधनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध,

(xvii) पशु का अवैध रूप से परिवहन करने और/या तस्करी करने और गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में प्रावधानों के उल्लेखन में कार्यों में संलग्न होना,

(xviii) वाणिज्यिक शोषण, बन्धुओं श्रमिक, शिशु श्रमिक, लैंगिक शोषण, अंग निकालने और दुर्व्यपार करने, भिक्षा और समान क्रिया कलापों के प्रयोजनों के मानव दुर्व्यपार,

(xix) विधिविरुद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 के अधीन दण्डनीय अपराध,

(xx) नकली भारतीय करेंसी नोटों का मुद्रण, परिवहन और परिचालन करना,

(xxi) अवैध औषधि के उत्पादन, विक्रय और वितरण में संलग्न होना,

(xxii) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 5, 7 और 12, के उल्लंघन में आयुध और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय और परिवहन में संलान होना,

(xxiii) भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में आर्थिक लभा के लिए पेड़ काटना य मारना या उत्पादों की तस्करी करना,

(xxiv) मनोरंजन और पण्यम कर अधिनियम, 1979 के अधीन दण्डनीय अपराध,

(xxv) उन अपराधों में संलग्न होना, जो राज्य की सुरक्षा लोक व्यवस्था और जीवन के रफ्तार को भी प्रभावित करते हैं।)

(ग) "गिरोहबन्द" का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी हैं जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिये, चाहे ऐसे क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रियाकलाप किये हों, संश्रय देता है;

(घ) "लोक सेवक" का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से यथापरिभाषित लोक सेवक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की पुलिस या अन्य

प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण या अभियोजन या दण्ड में, चाहे ऐसे अपराध या अपराधी के सम्बन्ध में सूचना या साक्ष्य देकर या किसी अन्य रीति से विधिपूर्वक सहायता करता है;

(ङ) "किसी लोक सेवक के कुटुम्ब का सदस्य" का तात्पर्य उसके माता–पिता या पति या पत्नी और भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री या इनमें से किसी के पति या पत्नी से है और इसके अन्तर्गत लोक सेवक पर आश्रित या उसके साथ निवास करने वाला कोई व्यक्ति और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके कल्याण में लोक सेवक हित रखता हो,

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 या भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो ऐसी संहिताओं में उनके लिए दिये गये हैं।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 (ख) गिरोह को परिभाषित करती है।

केस डायरी का पर्चा नं0 एक दिनांकित 31.03.2022 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि इस केस डायरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है कि

'' दौरान भ्रमण जानकारी हुई कि गिरोह सरगना रिजवान जहीर, अपने सहअभियुक्तों रमीज निवासी थाना तुलसीपुर बलरामपुर, शकील निवासी प्रतापगढ़, मेराजुल हक निवासी थाना हर्रैया जनपद बलरामपुर हाल निवासी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर, महफूज निवासी थाना तुलसीपुर व जेबा रिजवान निवासिनी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह द्वारा दिनांक 04.01.2022 को कस्बा तुलसीपुर में पूर्व चैयरमेन स्व0 फिरोज उर्फ पप्पू की हत्या साजिश करके करायी गयी/की गयी है ताकि उसकी मृत्यु के बाद अपना राजनैतिक वर्चस्व बनाकर चुनाव जीता जा सके। उक्त घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध सं0–02/2022 अन्तर्गत धारा 302, 120बी भा0दं0सं0 बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान उक्त गिरोह के सरगना एवं सदस्यों का नाम प्रकाश में आया है और दिनांक 13.03.2022 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उक्त गिरोह के सरगना रिजवान जहीर व सदस्य रमीज द्वारा दिनांक 26.04.2021 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के समय उपनिरीक्षक अजीत कुमर त्रिपाठी व उनके हमराही आरक्षी के साथ अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर एकराय होकर गाली–गलौज, मारपीट व जान से मारने की नियत से आग में ढकेलने का प्रयास व सरकारी पिस्टल लूटने का प्रयास किया तथा अपनी विपक्षी पार्टी की गाड़ियों को जला देने की घटना कारित की गयी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध सं0–93/2021 अन्तर्गत धारा 147, 149, 332, 353, 504, 506, 393, 307, 427, 435 भा0दं0सं0 व धारा 7 क्रिमिलन लॉ एमेन्डमेन्ट एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, इसी प्रकार दिनांक 26.04.2021 को गैंग सरगना रिजवान जहीर व सदस्य रमीज द्वारा अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार की कई गाड़ियों में तोड–फोड़ करके उन्हें जला दिया गया, जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा शुभम सिंह द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध सं0–93/2021 अन्तर्गत धारा 147, 149, 435, 427, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 पंजीकृत कराया गया जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इसी गिरोह के सदस्य मेराजुल हक द्वारा दिनांक 16.08.2020 को अपने सहअभियुक्तों के

साथ मिलकर राजन यादव के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी इस सम्बन्ध में चोटहिल राजन की मॉ राधा यादव द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध सं0–195/2020 अन्तर्गत धारा 323, 506 भा0दं0सं0 पंजीकृत कराया गया, जिसमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। गिरोह सरगना रिजवान जहीर व उसके गिरोह के सदस्यों के उक्त कृत्य से आम जनमानस में भय एवं आतंक का माहौल व्याप्त है, आम जनमानस सायं काल से ही अपने घरों से निकलने में भय महसूस कर रहे हैं। वादी एवं उसके परिजन तथा अभियोजन साक्षीगण तथा आम जनता के लोग उपरोक्त गिरोह से काफी भयभीत व आतंकित हैं। उक्त गिरोह द्वारा इस मुकदमें के अभियोजन साक्षीगण पर अपने स्त्रोतों से दबाव बनाया जा रहा है, जिससे वह गवाही न दे सकें। इस गिरोह की सक्रियता काफी बढ़ गयी है। उक्त गिरोह द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर राजनैतिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु भा0दं0सं0 के अध्याय 16, 17 एवं 22 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। उक्त गिरोह द्वारा कारित कृत्य गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 2 ख की उपधारा 1, 4 एवं 11 में आच्छादित है, जो गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध है। ''

भा0दं0सं0 के अध्याय 16 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय, सम्पत्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में एवं आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में उपबन्ध करता है, जो निम्नवत हैः–

हत्या, हत्या का प्रयास, उपहति, सदोष–अवरोध, बल, आपराधिक बल, हमला, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना, लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, लूट, रिष्टि, 100 रूपये या (कृषि उपज की दशा में) 10 रूपये का नुकसान कारित करने के आशय से अगिन या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान एवं आपराधिक अभित्रास के सम्बन्ध में उपबन्ध करता है।

पत्रावली के साथ अभियुक्तगण के विरूद्ध तैयार गिरोह चार्ट व आपराधिक इतिहास कागज सं0–5ख/11 लगायत 5ख/14 संलग्न किया गया है तथा गिरोह पंजी का प्रपत्र कागज सं0–5ख/15 लगायत 5ख/15 संलग्न किया गया है तथा अभियुक्त रिजवान जहीर, रमीज, शकील, मेराजुल हक उर्फ मेराज, महफूज व जेबा रिजवान का डोजियर (फाइल) कागज सं0–5ख/19 लगायत 5ख/32 संलग्न किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र 11ख उपरोक्त कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण जेबा रिजवान आदि का प्रार्थनापत्र 11ख तद्नुसार निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप आज ही पुनः पेश हो।

(विमल प्रकाश आर्य)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश, (F.T.C-IInd)
बलरामपुर।

Digitally signed by VIMAL PRAKASH ARYA
Date: 2022.11.18 12:26:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court